

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी श्री पुनीत कुमार गेलड़ा, आर0ए0एस0

प्रकरण संख्या - 41/2023

उनवान

- 1- नारायण पुत्र भैरू कहार निवासी शाहपुरा तहसील शाहपुरा
2-4 प्रकाश, रामप्रसाद, मु. इन्द्रा पिता प्रेमचन्द कहार निवासी शाहपुरा

- प्रार्थीगण

बनाम

- 1- हेमराज पिता रामनारायण धोबी निवासी रावलिया पाड़ा, उदयभान गेट, शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
2- गोपाल पिता नाना कहार निवासी रावलिया पाड़ा, उदयभान गेट, शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
3- रामेश्वर पिता भोलू कहार निवासी रावलिया पाड़ा, उदयभान गेट, शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
4-7 रामप्रताप, कैलाश, देबीलाल, सुखा पिता मोडू कहार निवासी रावलिया पाड़ा, उदयभान गेट, शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
8-13 मु. कन्या, मु. बाली, मु. मंजू, मु. रामघणी, मु. लीला, मु. विमला पिता घीसू कहार निवासी रावलिया पाड़ा, उदयभान गेट, शाहपुरा जिला भीलवाड़ा

- विपक्षीगण

उपस्थिति :- श्री त्रिलोक चंद नौलखा
अधिवक्ता प्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट, 1956

-:: निर्णय ::-

दिनांक- 12.06.2023

प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत विरुद्ध विपक्षीगण के प्रस्तुत किया गया, जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है - ग्राम शाहपुरा पटवार हल्का शाहपुरा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा में स्थित आराजी नम्बर 9957/1059 रकबा 0.20 है0 कुल किता 1 रकबा 0.20 हैक्टेयर की प्रार्थीगण सह खातेदार काश्तकार है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पड़ोसी है। प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण के मध्य आराजी के सीमाचिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा सम्बन्धी विवाद उत्पन्न होता रहता है। अतः पत्थरगढ़ी करवाई जावे।

प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रकरण में नियत पेशी दिनांक 26.04.2023 को राजस्व मंत्रालयक कर्मचारियों की सामूहिक हड़ताल होने से पत्रावली हड़ताल के पश्चात दिनांक 12.06.2023 को पेश हुई। प्रकरण के अवलोकन से विपक्षी सं0 07, 13 का सम्मन अदम तामिल लौटा एवं विपक्षी सं0 9 का सम्मन बाद/अदम तामिल नहीं लौटा जिनके विरुद्ध अभिभाषक प्रार्थीगण द्वारा किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं चाहने से विपक्षी सं0 07, 09, 13 के विरुद्ध कार्यवाही ड्रॉप की गयी। विपक्षीगण संख्या 1 लगायत 6, 8, 10 लगायत 12 के सम्मन बाद तामिल प्राप्त हो चुके है। किन्तु बावजूद सूचना के आज दिनांक तक उपस्थित नहीं हुए है न ही उनकी तरफ से आज दिनांक तक कोई प्लीडर उपस्थित हुआ है। अतः 1 लगायत 6, 8, 10 लगायत 12 के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही की गयी तथा बहस अभिभाषक प्रार्थीगण सुनी गई। हमने पत्रावली का एवं प्रस्तुत खाते की नकल जमाबन्दी ग्राम शाहपुरा पटवार हल्का शाहपुरा संवत 2076 से 2079 तक का अवलोकन किया। उपरोक्त वर्णित आराजीयात् प्रार्थीगण के सह खातेदारी में दर्ज होकर अपनी आराजीयात की पत्थरगढ़ी कराना चाहते है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा शाहपुरा में स्थित प्रार्थीगण की उपरोक्त सह खातेदारी की आराजीयात् किता 1 रकबा 0.20 हैक्टेयर की पुख्ता पत्थरगढ़ी पक्षकारान् की मौजूदगी में अगर मौके पर अन्य कोई विवाद न हो तो व कोई प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन न हो तो कब्जे में हस्तक्षेप नहीं करते हुये पत्थरगढ़ी किये जाने हेतु तहसीलदार शाहपुरा को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। पत्थरगढ़ी हेतु कमिश्नर फीस 500/- रूपये कायम किये जाते है, जो प्रार्थीगण से तहसीलदार शाहपुरा मौके पर प्राप्त करें। पत्थरगढ़ी मौका पर्चा पेश करें। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम से हो। बाद तफसील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 12.06.2023 को सरे ईजलास सुनाया गया।



(पुनीत कुमार गेलड़ा)
उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक कलक्टर
शाहपुरा जिला भीलवाड़ा

प्रतिलिपि :- तहसीलदार शाहपुरा के पास भेजकर लेख है कि मुताबिक आदेश पक्षकारान् की मौजूदगी में नियमानुसार पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट शीघ्र भिजावे।

उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक कलक्टर
शाहपुरा जिला भीलवाड़ा